GNITED MINDS
Journals

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. VIII, Issue No. XV, July-2014, ISSN 2230-7540

हरियाणा के पंचायती राज में 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद रेवाड़ी जिले में आरक्षण के पश्चात् अनुसूचित जाति की महिलाओं के मार्ग में आने वाली भावी चुनौतियों का अध्ययन

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. VIII, Issue No. XV, July-2014, ISSN 2230-7540

हरियाणा के पंचायती राज में 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद रेवाड़ी जिले में आरक्षण के पश्चात् अनुसूचित जाति की महिलाओं के मार्ग में आने वाली भावी चुनौतियों का अध्ययन

Madhu*

Research Scholar, Department of Political Science, OPJS University, Churu, Rajasthan

सारांश: जिला रेवाड़ी में उतरदाता 100 अनुसूचित जाति की महिला सदस्यों में से 55.00% महिलाएं माध्यमिक से कम, 11.00% महिलाएं माध्यमिक, 14.00% महिलाएं उच्च माध्यमिक, 12.00% महिलाएं स्नातक तथा 8.00% महिलाएं स्नातकोतर स्तर कि शैक्षिक योग्यता है। महिला सदस्यों के परिवार के आय के साधनों में से 2.00% महिलाएं पारिवारिक गैर सरकारी नौकरी, 8.00% महिलाएं पारिवारिक सरकारी नौकरी, 30.00% महिलाएं कृषि, 41.00% महिलाएं मजदूरी, 18.00% महिलाएं पशु-पालन आदि आय के साधन है। उतरदाता महिला सदस्यों की बहु-दोहरी जिम्मेदारी जैसे: परिवार की देख-रेख करना (78.00% महिलाएं सहमत तथा 22.00% महिलाएं असहमत), पंचायती राज के विभिन्न स्तरों में भाग लेना (19.00% महिलाएं सहमत तथा 81.00% महिलाएं असहमत), मजदूरी करना (84.00% महिलाएं सहमत तथा 16.00% महिलाएं असहमत), कृषि को संभालना (13.00% महिलाएं सहमत तथा 97.00% महिलाएं असहमत), नौकरी पर जाना (6.00% महिलाएं सहमत तथा 94.00% महिलाएं असहमत) थी। उतरदाता महिला सदस्यों में से 54.00% महिलाएं बहुत ज्यादा, 18.00% महिलाएं ज्यादा, 18.00% महिलाएं कम, 10.00% महिलाएं बहुत कम तथा 10.00% महिलाएं सामान्य सहमत थी। पंचायती कार्यालयों तथा स्थानिय लोगों द्वारा ग्राम पंचायती महिला सदस्य की तुलना में उनके पति के प्रतिनिधीत्व को ज्यादा अहमियत देने के अनुसार 31.00% महिलाएं बहुत ज्यादा, 32.00% महिलाएं ज्यादा, 17.00% महिलाएं कम, 16.00% महिलाएं बहुत कम तथा 4.00% महिलाएं सामान्य सहमत थी। पंचायती महिला सदस्य द्वारा सरकारी जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति अभाव के विचारों के अनुसार सरकारी जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति विचार जैसे: निधी का समय पर नहीं पंहुचना (14.00% महिलाएं सहमत तथा 86.00% महिलाएं असहमत), निधी कि कमी (92.00% महिलाएं सहमत तथा 8.00% महिलाएं असहमत), निधी में सरकारी अधिकारियों की हस्तपेक्ष (91.00% महिलाएं सहमत तथा 9.00% महिलाएं असहमत), निधी का सही प्रयोग नहीं होना (84.00% महिलाएं सहमत तथा 16.00% महिलाएं असहमत) तथा निधी का माध्यम सही नहीं (14.00% महिलाएं सहमत तथा 86.00% महिलाएं असहमत) आदि का निरिक्षण हुआ। पंचायती महिला सदस्य द्वारा चुनाव सदस्य भागीदारी योजना अभाव में 51.00% महिलाएं सहमत तथा 49.00% महिलाएं सहमत नहीं थी। पंचायत द्वारा सदस्य के रूप में शामिल करने का भी अध्ययन के अनुसार पंचायतों में 21.00% महिलाएं परिवार, 24.00% महिलाएं दोस्त, 20.00% महिलाएं समाज, 3.00% महिलाएं शिक्षक, 8.00% महिलाएं संस्था के कार्य, 4.00% महिलाएं संगठन तथा 20.00% महिलाएं गाँव के सदस्य के रूप में शामिल की जाती है। पंचायतों में महिलाओं के प्रति सरकार की भूमिका का अभाव के अनुसार पंचायतों में सरकार के कार्यों विभिन्न प्रकार की कमियाँ जैसे: रोजगार की कमी (41.00% महिलाएं), शिक्षा की कमी (14.00% महिलाएं), स्वस्थ्य योजनाओं की कमी (15.00% महिलाएं), समूह विचार-विमर्श की कमी (4.00% महिलाएं), पंचायती कार्यों का अभाव (12.00% महिलाएं), महिलाओं के प्रति योजनाओं का अभाव (5.00% महिलाएं) तथा महिलाओं का समान अधिकार का अभाव (4.00% महिलाएं) आदि है जिसके कारण आरक्षण मिलने के पश्चात् भी महिलाएं पंचायती राज में आगे नहीं बढ़ सकती।

*अप स्टैण्डर्ड प्रशासन के कारण निर्वाचित महिला सदस्य की पंचायती राज में स्थिति के अन्दर आरक्षण के मिलने के पश्चात् भी महिलाएं पंचायतों में आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि अप स्टैण्डर्ड प्रशासन की जरुरत और अपेक्षा जैसे: कम कार्यान्वयन (*77.00%

महिलाएं), सरकार का अप्रतिकुल रवैया (61.00% महिलाएं), राजनीतिक पार्टियों का अप्रतिकुल रवैया (29.00% महिलाएं), राजनीतिक पार्टियों में सरकार की अनिच्छा (48.00% महिलाएं), सरकारी अधिकारियों द्वारा अपक्षपातपूर्ण (33.00% महिलाएं), महिलाओं के बिच एकता का अभाव (52.00% महिलाएं), महिलाओं का उदास रवैया (79.00% महिलाएं), सरकारी कार्यों में महिलाओं की सहमती (14.00% महिलाएं), सरकारी कार्यों में महिलाओं की बराबर की भागीदारी (13.00% महिलाएं) तथा महिला कल्याणकारी योजना (6.00% महिलाएं) आदि के प्रति ही महिलाएं सहमत है। जिला रेवाड़ी के पंचायत सदस्य द्वारा पंचायती कार्यों की जानकारी स्थानीय लोगों को देने के माध्यम का भी अध्ययन किया गया जो कि एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से आरक्षण के मिलने के पश्चात् भी महिलाएं पंचायतों में आगे नहीं बढ़ सकती जिला रेवाड़ी में उतरदाता 100 महिला सदस्यों के अनुसार विभिन्न प्रकार के माध्यम जैसे: अकेले से मुलाकात करके (27.00% महिलाएं), समूह से मुलाकात करके (21.00% महिलाएं), ज्ञान देने के लिए निष्क्रिय भूमिका का अभाव (34.00% महिलाएं), संचार के माध्यम (26.00% महिलाएं) से तथा कोई माध्यम नहीं (14.00% महिलाएं) आदि कारणों से महिलाएं सहमत है। जिला रेवाड़ी के महिलाओं के प्रति सामाजिक नजरिया में आरक्षण के मिलने के पश्चात् भी महिलाएं पंचायतों में आगे नहीं बढ़ सकती। जिला रेवाड़ी में उतरदाता 100 महिला सदस्यों के अनुसार महिलाओं के प्रति सामाजिक नजरिया जैसे: पुरुषों के समान अधिकार नहीं देना (32.00% महिलाओं के अनुसार), घरेलु महिला के रूप में देखना (28.00% महिलाओं के अनुसार), पंचायतों में पुरुष प्रधानता (10.00% महिलाओं के अनुसार), महिलाओं को राजनीति में नहीं जाने देना (18.00% महिलाओं के अनुसार), महिलाओं को घरेलु दायरे में रखना (8.00% महिलाओं के अनुसार) तथा महिलाओं को शिक्षा संस्थानों में नहीं जाने देना (4.00% महिलाओं के अनुसार) आदि है जिसकी वजह से आरक्षण के मिलने के बाद भी महिलाएं पंचायतों में आगे नहीं बढ़ सकती।

कुंजी शब्द: हरियाणा, रेवाड़ी, अनुसूचित जाति की महिलाए, पंचायती राज, संवैधानिक संशोधन

----------------------------------X----------------------------------

प्रस्तावना

भारत के विभिन्न राज्यों जैसे: उतर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान की तरह हरियाणा में भी बड़ी-बड़ी खाप पंचायते है। इन ग़ैर कानूनी पंचायतों के ज्यादातर फ़ैसले, इनकी परिभाषा और रूढ़ीवादी सोच पर आधारित होते हैं। खाप पंचायतें इन सभी घटनाओं को दबा देती है। सरकार इन खाप पंचायतों पर कार्यवाहीं नहीं करती है। महिला आयोग के पास भी राष्ट्रीय स्तर पर सजा का अधिकार नही है। हरियाणा के उतरी जिलों में महिलाओं के प्रति कम अपराध का सबसे बड़ा कारण खाप पंचायतों का न होना और शिक्षा हैं। जहाँ राजनेता ही खाप पंचायतों में भाग लेते हों वहां पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और खराब स्थिति को सामान्य रूप से देखा जाना स्वाभाविक हैं।[1]

भारत अपनी स्वतंत्रता के 6 दशक पूरे कर चुका है लेकिन फिर भी यह मान्यता है कि स्त्री को पुरुष के संरक्षण की आवश्यकता है। भारतीय संविधान में प्रदत मूल अधिकारों ने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन सयुंक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाएं घर और कार्यस्थल दोनों पर भेदभाव का शिकार होती है। भारत देश में महिलाओं की आर्थिक गतिविधि दर केवल 32.5% है जबकि यह चीन में 61.4% है।[2]

शैक्षणिक रूप से भी महिलाएं भेदभाव का शिकार हो रही है। वर्ष 1881-1891 में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति 0.2% थी, जो वर्ष 1946-1947 में बढ़कर 6% तक वास्तव में महिलाओं की दयनीय स्थिति का मूल कारण महिलाओं के प्रति पुरुषों की असंवेदनशीलता हैं। हरियाणा में महिलाएं अपनी इच्छा से चुनाव नहीं लड़ती हैं बल्कि वे अपने परिवार के सदस्यों की इच्छा से चुनाव लड़ती हैं। गाँवों की पंचायतों में महिलाओं को बोलने तक नहीं दिया जाता है। यहाँ तक जो विजयी महिला उम्मीद्वार होती है उसे यह भी नहीं पता होता कि ग्राम पंचायत में कौन–कौन से कार्य हो रहे हैं। हरियाणा की पंचायती चुनावों में महिलाएं केवल आरक्षित सीटों पर ही चुनाव लड़ती है जो कि यहाँ के समाज की एक मज़बूरी है। वरना यहाँ के लोग महिला उम्मीदवारों को पंचायती चुनावों में चुनाव लड़वाना ही नहीं चाहते। यहाँ पर समाज की सोच है कि महिलाएं केवल घर पर कार्य करने के लिए होती है। अत: हरियाणा की पंचायती राज में महिलाओं की दशा बहुत ही दयनीय है।

हरियाणा एक पुरुष प्रधान राज्य हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति की महिलाओं की दशा बहुत ही दयनीय हैं। जो राजनीतिक रूप से पिछडी हुई हैं। वर्तमान शोध में हरियाणा की पंचायती राज में 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् मिले आरक्षण से रेवाड़ी जिले की अनुसूचित जाति की महिलाओं के मार्ग में आने वाली भावी चुनौतियों का अध्ययन किया गया है।

उपलब्ध साहित्य की समीक्षा

सांसद एवम् विधायक बीजू पटनायक तथा शिवराज पाटिल ने अपनी पुस्तक में विधायकों की ऐतिहासिक समीक्षा की है।

स्थानीय लोगों के विकास में सांसदों की भूमिका, विधायको की पंचायती राज में भूमिका तथा पंचायती राज को प्रभावित बनाने के लिए उनका योगदान आदि तथ्यों का विश्लेषण किया है।[3]

गुरु देव भट्ट, ने अपने शोध पत्र में पिथोरागढ़ (उतर प्रदेश) में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था व ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में वर्णन किया है। इस आन्दोलन में ग्रामीण परम्परागत राजनीतिक अभिजन वर्ग के स्थान पर नए विकास की व्यवस्था की हैं।[4]

उम्मन तथा अभिजित दन्त ने पंचायतों तथा उनकी वितीय व्यवस्था पर अध्ययन किया हैं। प्रस्तुत अध्ययनों में उन्होंने वर्तमान पंचायतों की वितीय व्यवस्था की संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन एवम् 10वें वित्त आयोग की शिफारिश के सन्दर्भ को भी विश्लेषित किया है।[5]

जार्ज मान तथा रमेश चन्द ने अपनी पुस्तक में आज हमारे गाँव क्या हैं, ग्राम वासियों ने किस तरह का जीवन व्यतीत किया हैं, गाँवों की सामाजिक व्यवस्था क्या सचमुच बदली है आदि का वर्णन किया हैं।[6]

गिरिस कुमार तथा बुद्वदेव घोष ने अपनी पुस्तक में पश्चिम बंगाल में मई, 1996 के चुनावों का सूक्ष्म अध्ययन किया है। इस अध्ययन में चुनावों की सहभागिता तथा पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली जैसे दोनों महत्वपूर्ण कार्यो को सम्मलित किया हैं।[7]

भोला नाथ घोष ने अपने अध्ययन में ग्रामीण जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक पक्षों का विश्लेषण किया है। वही ग्रामीण नेतृत्व के मुद्दों की भूमिका को भी स्पष्ट किया हैं।[8]

राजेन्द्र कुमार सिंह ने पूर्वी उतरप्रदेश के विशेष सन्दर्भ में एक सूक्ष्म अध्ययन किया हैं तथा पंचायती राज व्यवस्था एवम् ग्रामीण विकास के व्यावहारिक पक्षों को इसमें उजागर करते हुए ग्रामीण राजनीति परिवेश को स्पष्ट किया हैं।[9]

बल्लम श ने अपनी पुस्तक में पंचायती राज संस्थाओं की जीवन में उपयोगीता का वर्णन किया हैं तथा 73वें संवैधानिक संशोधन का विश्लेषण करते हुए यह प्रश्न उठाया कि नई पंचायती राज व्यवस्था कैसी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायतों की संरचना प्रणाली को स्पष्ट करने के बाद ग्राम सभा व पंचायतों के कार्य क्षेत्र पर विवेचन किया गया हैं।[10]

महिपाल, ने पंचायती राज व्यवस्था में अतीत से लेकर आज तक जो परिवर्तन आए है उसकी संक्षिप्त विवेचना करते हुए वर्तमान व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। कुछ राज्य जैसेः महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि के अधिनियमों की मुख्य विशेषताओं को भी इस पुस्तक में रेखांकित किया है।[11]

अध्ययन क्षेत्र और कार्यविधि:

जिला रेवाड़ी: 1 नवंबर 1989 को हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी को एक जिले का दर्जा दिया था। इसकी भौगोलिक सीमाएं उत्तर में जिला झज्जर, पश्चिम में महेन्द्रगढ़ और पूर्व और उत्तर-पूर्व दिशाओं में गुड़गांव जिले में हैं। रेवाडी 28.18° एन 76.62° ई पर स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 245 मीटर (803 फीट) है।राजस्थान के जिला अलवर दक्षिण-पूर्व में रेवाड़ी को छूते हैं। रेवाडी राजस्थान के नजदीक है और इसलिए गर्मियों में धूल के तूफान हैं। जिले में अरावली पर्वत के साथ-साथ रेतीले टिब्बे के ऊबड़ पहाड़ी इलाके शहर के जलवायु को प्रभावित करते हैं। रेवारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक हिस्सा बनाती है। इससे पहले रेवाड़ी एक उपमण्डल और तहसील मुख्यालय जिला महेन्द्रगढ़ के अंतर्गत आता था। साल 2011 के जनगणना अनुसार रेवाड़ी के कुल शहरी जनसंख्या 143021 हैं।

शोध पद्धति

हरियाणा की पंचायती राज में 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् मिले आरक्षण से रेवाड़ी जिले की अनुसूचित जाति की महिलाओं के मार्ग में आने वाली भावी चुनौतियों का अध्ययन के लिए "प्रश्नावली एवं उतरदाता विधि, डॉ शिव भावना, 2013" का प्रयोग किया गया। इसके लिए जिला रेवाड़ी की प्रत्येक पंचायती राज में 100 महिला सदस्यों का चयन किया गया। इन 100 महिला सदस्यों में वे अनुसूचित जाति की महिलाएं शामिल है जो वर्तमान में हरियाणा की पंचायती राज में पंच, सरपंच तथा जिला पार्षद आदि पदों पर कार्यरत है। इस अध्ययन में विभिन्न प्रकार के आकड़े जैसे: महिला सदस्यों की शैक्षणिक स्थिति; आय के साधन; बहु-दोहरी जिम्मेदारी; पंचायती कार्यालयों द्वारा पुरूषों को महिलाओं की तुलना में ज्यादा अहमियत देना; पंचायती कार्यालयों तथा स्थानिय लोगों द्वारा ग्राम पंचायत महिला सदस्य की तुलना में उसके पति का प्रतिनिधीत्व; पंचायती महिला सदस्य का सरकारी जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति विचार; चुनाव सदस्य भागीदारी योजना का अभाव; पंचायत द्वारा सदस्य के रूप में शामिल करना; सरकार की भूमिका का अभाव; अप स्टैण्डर्ड प्रशासन के कारण निर्वाचित महिला सदस्यों की पंचायती राज में स्थिति; पंचायत सदस्य द्वारा पंचायती कार्यों की जानकारी स्थानीय लोगों को देना तथा महिलाओं के प्रति सामाजिक नजरिया आदि का अध्ययन किया गया।

परिणाम और विचार विमर्श:

जिला रेवाड़ी में उतरदाता 100 अनुसूचित जाति की महिला सदस्यों में से 55.00% महिलाएं माध्यमिक से कम, 11.00% महिलाएं माध्यमिक, 14.00% महिलाएं उच्च माध्यमिक, 12.00% महिलाएं स्नातक तथा 8.00% महिलाएं स्नातकोतर स्तर कि शैक्षिक योग्यता है (तालिका 1)।

महिला सदस्यों के परिवार के आय के साधनों में से जिला रेवाड़ी में उतरदाता 100 महिला सदस्यों में से 2.00% महिलाएं पारिवारिक गैर सरकारी नौकरी, 8.00% महिलाएं पारिवारिक सरकारी नौकरी, 30.00% महिलाएं कृषि, 41.00% महिलाएं मजदूरी, 18.00% महिलाएं पशु-पालन आदि आय के साधन है (तालिका 2)।

तालिका 1: जिला रेवाड़ी में महिला सदस्यों की शैक्षणिक स्थिति।

शैक्षणिक योग्यता	जिला रेवाड़ी	
	सदस्यों कि संख्या	सदस्यों कि प्रतिशत
माध्यमिक से कम	55	55.00%
माध्यमिक	11	11.00%
उच्च माध्यमिक	14	14.00%
स्नातक	12	12.00%
स्नातकोतर	8	8.00%
अन्य	0	0.00%
कुल	100	100%

जिला रेवाड़ी में उतरदाता 100 महिला सदस्यों की बहु-दोहरी जिम्मेदारी जैसे: परिवार की देख-रेख करना (78.00% महिलाएं सहमत तथा 22.00% महिलाएं असहमत), पंचायती राज के विभिन्न स्तरों में भाग लेना (19.00% महिलाएं सहमत तथा 81.00% महिलाएं असहमत), मजदूरी करना (84.00% महिलाएं सहमत तथा 16.00% महिलाएं असहमत), कृषि को संभालना (13.00% महिलाएं सहमत तथा 97.00% महिलाएं असहमत), नौकरी पर जाना (6.00% महिलाएं सहमत तथा 94.00% महिलाएं असहमत) थी (तालिका 3)।

तालिका 2: जिला रेवाड़ी में महिला सदस्यों के परिवार की आय के साधन।

शिक्षा का स्तर	जिला रेवाड़ी	
	सदस्यों कि संख्या	सदस्यों कि प्रतिशत
गैर सरकारी नौकरी	2	2.00%
सरकारी नौकरी	8	8.00%
कृषि	30	30.00%
मजदूरी	41	41.00%
पशु-पालन	18	18.00%
अन्य	1	1.00%
कुल	100	100%

जिला रेवाड़ी के पंचायती कार्यालयों द्वारा पुरूषों को महिलाओं की तुलना में ज्यादा अहमियत देने का भी अध्ययन किया गया। जिला रेवाड़ी में उतरदाता 100 महिला सदस्यों में से 54.00% महिलाएं बहुत ज्यादा, 18.00% महिलाएं ज्यादा, 18.00% महिलाएं कम, 10.00% महिलाएं बहुत कम तथा 10.00% महिलाएं सामान्य सहमत थी (तालिका 4)।

जिला रेवाड़ी के पंचायती कार्यालयों तथा स्थानिय लोगों द्वारा ग्राम पंचायती महिला सदस्य की तुलना में उनके पति के प्रतिनिधीत्व को ज्यादा अहमियत देने का अध्ययन किया गया। जिला रेवाड़ी में उतरदाता 100 महिला सदस्यों के अनुसार 31.00% महिलाएं बहुत ज्यादा, 32.00% महिलाएं ज्यादा, 17.00% महिलाएं कम, 16.00% महिलाएं बहुत कम तथा 4.00% महिलाएं सामान्य सहमत थी (तालिका 5)।

तालिका 3: जिला रेवाड़ी में महिला सदस्यों की बहु-दोहरी जिम्मेदारी।

बहु-दोहरी जिम्मेदारी	उतरदाता	जिला रेवाड़ी	
		संख्या	प्रतिशत
परिवार की देख- रेख करना	सहमत है	78	78.00%
	सहमत नहीं है	22	22.00%
पंचायती राज के विभिन्न स्तरों में भाग लेना	सहमत है	19	19.00%
	सहमत नहीं है	81	81.00%
मजदूरी करना	सहमत है	84	84.00%
	सहमत नहीं है	16	16.00%
कृषि को संभालना	सहमत है	13	13.00%
	सहमत नहीं है	87	87.00%
नौकरी पर जाना	सहमत है	6	06.00%
	सहमत नहीं है	94	94.00%

पंचायती महिला सदस्य द्वारा सरकारी जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति अभाव के विचारों का भी अध्ययन किया गया। जिला रेवाड़ी में 100 महिला उतरदाता सदस्यों के अनुसार सरकारी जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति विचार जैसे: निधी का समय पर नहीं पंहुचना (14.00% महिलाएं सहमत तथा 86.00% महिलाएं असहमत), निधी कि कमी (92.00% महिलाएं सहमत

तथा 8.00% महिलाएं असहमत), निधी में सरकारी अधिकारियों की हस्तपेक्ष (91.00% महिलाएं सहमत तथा 9.00% महिलाएं असहमत), निधी का सही प्रयोग नहीं होना (84.00% महिलाएं सहमत तथा 16.00% महिलाएं असहमत) तथा निधी का माध्यम सही नहीं (14.00% महिलाएं सहमत तथा 86.00% महिलाएं असहमत) आदि का निरिक्षण हुआ (तालिका 6)।

तालिका 4: जिला रेवाड़ी के पंचायती कार्यालयों द्वारा पुरूषों को महिलाओं की तुलना में ज्यादा अहमियत देना।

अहमियत	जिला रेवाड़ी	
	संख्या	प्रतिशत
बहुत ज्यादा	54	54.00%
ज्यादा	18	18.00%
कम	8	8.00%
बहुत कम	10	10.00%
सामान्य	10	10.00%

तालिका 5: जिला रेवाड़ी के पंचायती कार्यालयों तथा स्थानिय लोगों द्वारा ग्राम पंचायत महिला सदस्य की तुलना में उनके पति के प्रतिनिधीत्व को ज्यादा अहमियत देना।

अहमियत	जिला रेवाड़ी	
	संख्या	प्रतिशत
बहुत ज्यादा	31	31.00%
ज्यादा	32	32.00%
कम	17	17.00%
बहुत कम	16	16.00%
सामान्य	4	4.00%

तालिका 6: जिला रेवाड़ी के पंचायती महिला सदस्य द्वारा सरकारी जरूरतों और अपेक्षाओं के अभाव के प्रति विचार।

जरूरत और अपेक्षा	उतरदाता	जिला रेवाड़ी	
		संख्या	प्रतिशत
निधी का समय पर नहीं पहुचना	सहमत है	14	14.00%
	सहमत नहीं है	86	86.00%
निधी कि कमी	सहमत है	92	92.00%
	सहमत नहीं है	8	8.00%
निधी में सरकारी अधिकारियों की हस्तपेक्ष	सहमत है	91	91.00%
	सहमत नहीं है	9	9.00%
निधी का सही प्रयोग नही होना	सहमत है	84	84.00%
	सहमत नहीं है	16	16.00%
निधी का माध्यम सही नहीं है	सहमत है	14	14.00%
	सहमत नहीं है	86	86.00%

जिला रेवाड़ी के पंचायती महिला सदस्य द्वारा चुनाव सदस्य भागीदारी योजना अभाव का भी अध्ययन किया गया। उतरदाता 100 महिला सदस्यों के अनुसार 51.00% महिलाएं सहमत तथा 49.00% महिलाएं सहमत नहीं थी (तालिका 7)।

जिला रेवाड़ी में महिलाओं को पंचायत द्वारा सदस्य के रूप में शामिल करने का भी अध्ययन किया गया। जिला रेवाड़ी में उतरदाता 100 महिला सदस्यों के अनुसार पंचायतों में 21.00% महिलाएं परिवार, 24.00% महिलाएं दोस्त, 20.00% महिलाएं समाज, 3.00% महिलाएं शिक्षक, 8.00% महिलाएं संस्था के कार्य, 4.00% महिलाएं संगठन तथा 20.00% महिलाएं गाँव के सदस्य के रूप में शामिल की जाती है (तालिका 8)।

अध्ययन क्षेत्र जिला रेवाड़ी की पंचायतों में महिलाओं के प्रति सरकार की भूमिका का अभाव का भी अध्ययन किया गया। जिला रेवाड़ी में उतरदाता 100 महिला सदस्यों के अनुसार पंचायतों में सरकार के कार्यों विभिन्न प्रकार की कमियाँ जैसे: रोजगार की कमी (41.00% महिलाएं), शिक्षा की कमी (14.00% महिलाएं), स्वस्थ्य योजनाओं की कमी (15.00% महिलाएं), समूह विचार-विमर्श की कमी (4.00% महिलाएं), पंचायती कार्यों का अभाव (12.00% महिलाएं), महिलाओं के प्रति योजनाओं का अभाव (5.00% महिलाएं) तथा महिलाओं का समान अधिकार का अभाव (4.00% महिलाएं) आदि है जिसके कारण आरक्षण मिलने के पश्चात् भी महिलाएं पंचायती राज में आगे नहीं बढ़ सकती (तालिका 9)।

तालिका 7: जिला रेवाड़ी के पंचायती महिला सदस्य द्वारा चुनाव सदस्य भागीदारी योजना का अभाव का अध्ययन।

चुनाव सदस्य भागीदारी योजना	उतरदाता	जिला रेवाड़ी	
		संख्या	प्रतिशत
भागीदारी	सहमत है	51	51.00%
	सहमत नहीं है	49	49.00%
भागीदारी नहीं	सहमत है	33	33.00%
	सहमत नहीं है	67	67.00%

तालिका 8: जिला रेवाड़ी में महिलाओं को पंचायत द्वारा सदस्य के रूप में शामिल करना।

सदस्यता	जिला रेवाड़ी	
	संख्या	प्रतिशत
परिवार	21	21.00%
दोस्त	24	24.00%
समाज	20	20.00%
शिक्षक	3	3.00%
संस्था के कार्य	8	8.00%
संगठन	4	4.00%
गाँव का सदस्य	20	20.00%

अप स्टैण्डर्ड प्रशासन के कारण निर्वाचित महिला सदस्य की पंचायती राज में स्थिति का भी जिला रेवाड़ी में अध्ययन किया गया जिसमें आरक्षण के मिलने के पश्चात् भी महिलाएं पंचायतों

में आगे नहीं बढ़ सकती (तालिका 10)। जिला रेवाड़ी में उतरदाता 100 महिला सदस्यों के अनुसार अप स्टैण्डर्ड प्रशासन की जरुरत और अपेक्षा जैसे: कम कार्यान्वयन (77.00% महिलाएं), सरकार का अप्रतिकुल रवैया (61.00% महिलाएं), राजनीतिक पार्टियों का अप्रतिकुल रवैया (29.00% महिलाएं), राजनीतिक पार्टियों में सरकार की अनिच्छा (48.00% महिलाएं), सरकारी अधिकारियों द्वारा अपक्षपातपूर्ण (33.00% महिलाएं), महिलाओं के बिच एकता का अभाव (52.00% महिलाएं), महिलाओं का उदास रवैया (79.00% महिलाएं), सरकारी कार्यों में महिलाओं की सहमती (14.00% महिलाएं), सरकारी कार्यों में महिलाओं की बराबर की भागीदारी (13.00% महिलाएं) तथा महिला कल्याणकारी योजना (6.00% महिलाएं) आदि के प्रति ही महिलाएं सहमत है (तालिका 10)।

जिला रेवाड़ी के पंचायत सदस्य द्वारा पंचायती कार्यों की जानकारी स्थानीय लोगों को देने के माध्यम का भी अध्ययन किया गया। जो कि एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से आरक्षण के मिलने के पश्चात् भी महिलाएं पंचायतों में आगे नहीं बढ़ सकती (तालिका 11)। जिला रेवाड़ी में उतरदाता 100 महिला सदस्यों के अनुसार विभिन्न प्रकार के माध्यम जैसे: अकेले से मुलाकात करके (27.00% महिलाएं), समूह से मुलाकात करके (21.00% महिलाएं), ज्ञान देने के लिए निष्क्रिय भूमिका का अभाव (34.00% महिलाएं), संचार के माध्यम (26.00% महिलाएं) से तथा कोई माध्यम नहीं (14.00% महिलाएं) आदि कारणों से महिलाएं सहमत है (तालिका 11)।

तालिका 9: जिला रेवाड़ी की पंचायतों की महिलाओं के प्रति सरकार कि भूमिका का अभाव।

सरकारी कार्य	जिला रेवाड़ी	
	संख्या	प्रतिशत
रोजगार की कमी	41	41.00%
शिक्षा की कमी	14	14.00%
स्वस्थ्य योजनाओं की कमी	15	15.00%
समूह विचार-विमर्श की कमी	4	4.00%
पंचायती कार्यों का अभाव	12	12.00%
महिलाओं के प्रति योजनाओं का अभाव	15	15.00%
महिलाओं का समान अधिकार का अभाव	9	9.00%

जिला रेवाड़ी के महिलाओं के प्रति सामाजिक नजरिया का भी अध्ययन किया गया। जो कि एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से आरक्षण के मिलने के पश्चात् भी महिलाएं पंचायतों में आगे नहीं बढ़ सकती। जिला रेवाड़ी में उतरदाता 100 महिला सदस्यों के अनुसार महिलाओं के प्रति सामाजिक नजरिया जैसे: पुरुषों के समान अधिकार

तालिका 10: जिला रेवाड़ी के अप स्टैण्डर्ड प्रशासन के कारण निर्वाचित महिला सदस्य की पंचायती राज में स्थिति।

जरुरत और अपेक्षा	उतरदाता	जिला रेवाड़ी	
		संख्या	प्रतिशत
कम कार्यान्वयन	सहमत है	77	77.00%
	सहमत नही है	23	23.00%
सरकार का अप्रतिकुल रवैया	सहमत है	61	61.00%
	सहमत नही है	39	39.00%
राजनीतिक पार्टियों का अप्रतिकुल रवैया	सहमत है	29	29.00%
	सहमत नही है	71	71.00%
राजनीतिक पार्टियों में सरकार की अनिच्छा	सहमत है	48	48.00%
	सहमत नही है	52	52.00%
सरकारी अधिकारियों द्वारा अपक्षपातपूर्ण	सहमत है	33	33.00%
	सहमत नही है	67	67.00%
महिलाओं के बिच एकता का अभाव	सहमत है	52	52.00%
	सहमत नही है	48	48.00%
महिलाओं का उदास रवैया	सहमत है	79	78.66%
	सहमत नही है	21	21.33%
सरकारी कार्यों में महिलाओं की सहमती	सहमत है	14	14.00%
	सहमत नही है	86	86.00%
सरकारी कार्यों में महिलाओं की बराबर की भागीदारी	सहमत है	13	13.00%
	सहमत नही है	87	87.00%
महिला कल्याणकारी योजना के प्रति सहमति	सहमत है	6	6.00%
	सहमत नही है	94	94.00%

तालिका 11: जिला रेवाड़ी के पंचायत सदस्य द्वारा पंचायती कार्यों की जानकारी स्थानीय लोगों को देना।

जानकारी	उतरदाता	जिला रेवाड़ी	
		संख्या	प्रतिशत
अकेले से मुलाकात करके	सहमत है	27	27.00%
	सहमत नहीं है	73	73.00%
समूह से मुलाकात करके	सहमत है	21	21.00%
	सहमत नहीं है	89	89.00%
ज्ञान देने के लिए निष्क्रिय भूमिका का अभाव	सहमत है	34	34.00%
	सहमत नहीं है	66	66.00%
संचार के माध्यम से	सहमत है	26	26.00%
	सहमत नहीं है	74	74.00%
कोई माध्यम नहीं	सहमत है	14	14.00%
	सहमत नहीं है	86	86.00%

नहीं देना (32.00% महिलाओं के अनुसार), घरेलु महिला के रूप में देखना (28.00% महिलाओं के अनुसार), पंचायतों में पुरुष प्रधानता (10.00% महिलाओं के अनुसार), महिलाओं को राजनीति में नहीं जाने देना (18.00% महिलाओं के अनुसार), महिलाओं को घरेलु दायरे में रखना (8.00% महिलाओं के अनुसार) तथा महिलाओं को शिक्षा संस्थानों में नहीं जाने देना (4.00% महिलाओं के अनुसार) आदि है जिसकी वजह से आरक्षण के मिलने के बाद भी महिलाएं पंचायतों में आगे नहीं बढ़ सकती (तालिका 12)।

तालिका 12: जिला रेवाड़ी के महिलाओं के प्रति सामाजिक नजरिया।

सामाजिक नजरिया	जिला रेवाड़ी	
	संख्या	प्रतिशत
पुरुषों के समान अधिकार नहीं देना	32	32.00%
घरेलु महिला के रूप में देखना	28	28.00%
पंचायतों में पुरुष प्रधानता	10	10.00%
महिलाओं को राजनीति मे नहीं जाने देना	18	18.00%
महिलाओं को घरेलु दायरे मे रखना	08	08.00%
महिलाओं को शिक्षा संस्थानो मे नहीं जाने देना	4	4.00%

निष्कर्ष:

वर्तमान अध्ययन में 100 अनुसूचित जाति की महिलाओ का साक्षात्कार अलग-अलग लिया गया तथा इसके माध्यम से हरियाणा की पंचायती राज में 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् मिले आरक्षण से रेवाड़ी जिले की अनुसूचित जाति की महिलाओं के मार्ग में आने वाली भावी चुनौतियों का अध्ययन किया गया है| अध्ययन में पाया गया की हरियाणा राज्य विकसित होने के बावजूद भी यहाँ पर महिलाओ को पंचायती राज में पुरुष के बराबर अधिकार नहीं दिया जाता उन्हें आज भी पुरुषों द्वारा दबा कर रखा जाता है| साक्षात्कार महिलाओ की शैक्षिक योग्यता भी ज्यादा नहीं है | वर्तमान समस्या को ध्यान में रखते हुए महिलाओ को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देनी चाहिए तथा सरकार द्वारा भी महिला जागरूकता रूपी अभियान चलाने चाहिए | ,ताकि महिलाओ को भी पंचायती ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा पता चले

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. नरेन्द्र तिवारी, "वीमेन एम्पावरमेंट", योजना पब्लिकेशन, दिल्ली, 2012, पृष्ठ संख्या 118

2. अजय रंगा, "हरियाणा की पंचायतों में महिलाओं की स्थिति", दया पब्लिकेशन हॉउस, अजमेर, 2013, पृष्ठ संख्या 12

3. सांसद एवम् विधायक बीजू पटनायक तथा शिवराज पाटिल, “पंचायती राज”, इंस्टीट्यूट ऑफ़ शोशल साईंस, नई दिल्ली1994, पृष्ठ संख्या 86

4. गुरु देव भट्ट, “दिस थ्री सिस्टम पंचायती राज एंड ट्रेडिशनल रूरल पॉलिटिक्स”, 1994, पृष्ठ संख्या 86

5. उम्मन तथा अभिजित दन्त, “पंचायती राज एंड देयर फाइनेंस”, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1995, पृष्ठ संख्या 91

6. जार्ज मान तथा रमेश चन्द, “पंचायतों के व्यवहार में क्या लाभ है, इनमें शोषित वर्गो को”, चन्द्र पब्लिकेशन हाउस, जोधपुर, 1994, पृष्ठ संख्या 181

7. गिरिस कुमार तथा बुद्धदेव घोष, “पंचायती राज इलेक्शन”, कोस्पेर पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली, 1996, पृष्ठ संख्या 73

8. भोला नाथ घोष, “रूरल लीडरशिप एंड डेवलपमेंट”, मोहित पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 1996, पृष्ठ संख्या 42

9. राजेन्द्र कुमार सिंह, “ग्रामीण राजनीति अभिजन”, क्लासिक पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली, 1996, पृष्ठ संख्या 142

10. बल्लम शरण, “नई पंचायती राज व्यवस्था, 73वाँ संवैधानिक संशोधन और राज्याधिनियम” कोस्पेर पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली, 1996, पृष्ठ संख्या 181

11. महिपाल, “पंचायती राज में महिलाएं: अतीत, वर्तमान एवम् भविष्य”, शर्मा पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली, 1997, पृष्ठ संख्या 181

Corresponding Author

Madhu*

Research Scholar, Department of Political Science, OPJS University, Churu, Rajasthan

madhuindora@yahoo.com